Representation of Employees' Association in Kendriya Vidyalaya Sangathan

2604. PROF. SAURIN BHATTACHARYA:

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether AIKVTA have demanded an immediate review of the nominations of employees associations' representatives of Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have undertaken the review; and

(d) if so, the details of the changes to be effected?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The General Secretary of All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association has suggested that:—

(i) the nominations should have been asked for from the respective associations;

(ii) representation should be on proportionate numerical strength of four categories of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan;

(iii) AIKVTA should be given three or more seats on Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors and the representation of one seat each to both factions of Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh should be annulled as RKVAS has still to prove 15 per cent of total teaching staff as their members;

(iv) nominations should be made by designation rather than by name.

(c) and (d) No, Sir. The Government decision was intended to give sufficient broad-based representation to the employees. It was not considered desirable to delay the matter further for the sake of agreement among all the associations. It is for the Government to make nominations of such persons whom it considers may contribute to the objectives of the Sangathan.

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संबंधी समझौते

2605. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संबंधी समझौतों का सदस्य है और यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि समझौते के अधिकांश सदस्य देशों में प्रतिलिप्याधिकार के प्रयोजन के लिए निर्धारित अवधि लेखक की मृत्यु के पश्चात पचास वर्ष की है जबकि भारत ने इस अवधि में दस वर्ष की वृद्धि कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट समझौतों अर्थात् साहित्यिक तथा कलात्मक कृति की सुरक्षा के लिए बर्न समझौता और विश्व जनीन कापीराइट समझौता, दोनों का एक सदस्य है । इन समझौतों में अपने सदस्य के लिए कापीराइट सुरक्षा के न्यूनतम स्तर स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक देश में अन्य सदस्य देशों में मूल रूप से तैयार होने वाली कृतियों की सुरक्षा प्रदान की गई है। दोनों समझौते एक-दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं ।

(ख) और (ग) इन समझौतों में न्यूनतम अवधि सहित कापीराइट सुरक्षा